सीसीटीएनएस
(Crime and Criminal Tracking Network & Systems)-

सीसीटीएनएस का पूरा नाम **''क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम''** हैं। यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में लायी गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सीपा प्रोजेक्ट की कमियों को दूर करना है। इस योजना के अन्तर्गत पूरे देश के सभी थानों (लगभग चौदह हजार के ऊपर), वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय (क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, परिक्षेत्रीय कार्यालय, डीजीपी मुख्यालय), पुलिस कन्ट्रोल रूम, अन्य इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सीज जैसे सी0बी0 सी0आई0डी0, ई0ओ0डब्लू0 को कम्प्यूटराइज कर नेटवर्किग के माध्यम से आपस में जोड़ने की व्यवस्था है।

इस योजना में सिटीजन इन्टरफेस देने का भी प्राविधान है। इस योजना के लागू होने के पश्चात आम जनता घर से ही अपनी शिकायत कम्प्यूटर पर इन्टरनेट के माध्यम से दर्ज करा सकेगा। प्रत्येक शिकायत को एक यूनीक कोड (रेलवे पीएनआर की तरह) दिया जायेगा। उस कोड के माध्यम से वह अपनी शिकायत पर हुई कार्यवाही अथवा जॉच की प्रगति को समय-समय पर देख सकता है। इसके अतिरिक्त इस योजना में चरित्र सत्यापन, शस्त्र लाइसेंस, धरना प्रदर्शन की अनुमति के लिए आवेदन करने की आन-लाइन व्यवस्था है। इन कार्यो के लिए आम जनता को थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस योजना में डेटा फीडिंग थाने स्तर पर होगी एवं शिकायतकर्ता को एफ0आई0आर0 की कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि दी जायेगी। थानों के विभिन्न रजिस्टर/रिपोर्ट कम्प्यूटर द्वारा स्वत: बन जायेगें।

इस परियोजना के अन्तर्गत समस्त भारत की पुलिस एजेंसियों का एक वृहद नेटवर्क तैयार कर कम्प्यूटरीकृत साफटवेयर के माध्यम से सूचनाओं को वृहद डाटाबेस में एकत्र कर शेयर करने की योजना है। थाने स्तर से पुलिस अधिकारियो तक नेटवर्किग एवं इन्टरनेट की सुविधा प्रदान की जायेगी।

सीसीटीएनएस योजना को लागू करने के लिए एन0सी0आर0बी0, नई दिल्ली को नोडल एजेन्सी बनाया गया है, जो विप्रो कम्पनी के माध्यम से साफ्टवेयर (कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर) विकसित करा रहा है। इस साफ्टवेयर की उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों (गौतमबुद्धनगर, लखनऊ एवं वाराणसी) में पायलेट टेस्टिंग की जायेगी। सफल पायलट होने के उपरान्त यह साफ्टवेयर सभी प्रदेशों को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेशों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस साफ्टवेयर में नये माडल्स जोड़ने की छूट दी गयी है।

सीसीटीएनएस योजना की प्लानिंग केन्द्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय एवं एन0सी0आर0बी0 में की जा रही है किन्तु इस प्रोजेक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों को दी गयी है, जबकि धनराशि केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस योजना को लागू करने के लिए तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को नोडल एजेन्सी बनाया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जायेगें :-

1- थाने एवं उच्चाधिकारीगण के कार्यालयों में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की सम्पूर्ति ।

2- सभी कम्प्यूटरों को नेटवर्किंग से जोड़ा जायेगा।

3- सभी थानों पर एक-एक जनरेटर की व्यवस्था।

4- पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण ।

5- पिछले 10 वर्ष के अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना ।

6- केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज कराना एवं नये माड्यूल्स को जोड़ना।

7- Change Management हेतु Workshops को आयोजित करना।

सीसीटीएनएस परियोजना के लाभ (Advantage)

पुलिस विभाग को लाभ :-

- मैनुअल कार्य में कमी।
- डुप्लीकेट कार्य की आवश्यकता नहीं होगी। थानों के रजिस्टर स्वत: बन जायेगें।
- कोई भी रिपोर्ट तत्काल निकाली जा सकती है।
- देश के किसी भी क्षेत्र के अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिससे अपराध नियंत्रण एवं विवेचना में लाभ होगा।
- उच्चाधिकारीगण थानों की एवं विवेचनाओं की ऑन-लाइन मानीटरिंग कर सकेगें।
- पुलिस विभाग में पारदर्शिता आयेगी।

आम-जनता को लाभ :-

- घर से ही शिकायत दर्ज करने की सुविधा।
- अपराध एवं अपराधियों के बारे में गोपनीय सूचनायें कम्प्यूटर के माध्यम से ही दे सकेगें।
- चरित्र सत्यापन, नौकरों का सत्यापन, किरायेदारों का सत्यापन, शस्त्र लाइसेंस आदि का आवेदन कम्प्यूटर/इन्टरनेट के माध्यम से apply किया जा सकता है। इसके लिए आम जनता को थाने जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

Comparative Chart of CCIS,CIPA and CCTNS

S.No.		CCIS	CIPA	CCTNS
1	Full Form	Crime & Criminal Information System	Common Integrated Police Application	Crime & Criminal Tracking Network & Systems.
2	योजना का प्रकार	भारत सरकार की योजना	भारत सरकार की योजना	भारत सरकार की योजना
3	भारत सरकार में योजना बनने का वर्ष	1988	2004	2009
4	उ0प्र0 में योजना आरम्भ होने का वर्ष	1997	2007	2011
5	Nodal Agency	NCRB	NIC	NCRB
6	Connectivity	Stand Alone system (No connectivity)	Stand Alone system (No connectivity)	CONNECTIVITY का प्राविधान है-सभी कार्यालय तथा थानें आपस में जुड़ जाएँगे।
7	Operating System	विंडोज	लाईनेक्स	विन्डोज/लाईनेक्स (ब्राउजर बेस्ड)
8	Data Feeding	जिला स्तर पर डीसीआरबी में	थाना स्तर पर	थाना स्तर पर
9	Citizen interface	No	No	Yes
10	Facility of On line complaint lodgeing	No	No	Yes
11	Facility of Printed FIR for Complainant	No	Yes	Yes